राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के सचिव की शक्तियां और कृत्य
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर, राजस्थान
अधिसूचना
जयपुर, जनवरी

संख्या SECY/RERC/REG.2 विद्युत अधिनियम, की धारा 91 (1) व 181 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) ये विनियम राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सचिव की शक्तियाँ और कृत्य) विनियम, 2000 कहे जायेंगे।

(2) ये राज-पत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत होंगे।

1. **परिभाषा :**

2 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में, ''अधिनियम'' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है।

3. इन विनियमों में प्रयुक्त किन्तु ऊपर परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा, जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का संपादन) विनियम, 2004 में है।

4. **सचिव के कृत्य और कर्तव्य :-**
सचिव 'आयोग' का प्रमुख अधिकारी होगा तथा वह अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन करेगा।

5. **विशिष्टतया और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का संपादन) विनियम, 2004 और अधिनियम की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव बिना, सचिव की निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात :-**
(प) आयोग की प्राधिकारिक मुहर और अभिलेख उसकी अभिरक्षा में रहेंगे;

(पप) वह सभी याचिकाएं, प्रार्थना-पत्र अथवा आयोग से संबंधित संदर्भ प्राप्त करेगा या प्राप्त करवायेगा;

(पपप) वह प्रत्येक मामले मे विभिन्न पक्षकारों द्वारा आयोग के समक्ष उसके कृत्यों क निर्वहन के दौरान प्रस्तुत सभी अभिवचनों के संक्षेप और सारांश तैयार करेगा या तैयार करवायेगा;

(पअ) वह आयोग द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों से संबंधित समस्त कार्यवाहियों में आयोग की सहायता करेगा;

(अ) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों और निर्णयों को अधिप्रमाणित करेगा;

(अप) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा;

(अपप) उसे केन्द्रीय सरका, राज्य सरकार, राज्य विद्युत मण्डल, अनुज्ञप्तिधारियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों या अन्य कार्यालयों, कंपनियों या फर्मो या किसी ऐसे अन्य पक्ष से जिनके लिए आयोग द्वारा निदेश दिया जाये, ऐसी सूचना जिसे अधिनियम के अधीन के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझा जाये, संग्रहीत करने का अधिकार होगा और वह उक्त सूचना को आयोग के समक्ष रेखगा;

(अपपप) उसे किसी याचिका प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्राप्तकर्ता अधिकारी के किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन करने की और, विनियमों में जैसा उपबंधित है, समुचित आदेश पारित करने की शक्ति होगी;

(पग) अधिनियम और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (कार्य का संपादन) विनियम, 2004 के उपबंधों के अनुसार आयोग के समस्त आदेशों को वह संबंधित व्यक्तियों को संसूचित करेगा और निदेशों के लिए, यदि आवश्यक हो तो, आयोग से आदेश ले सकेगा;

6. आयोग अपने किसी भी अधिकारी को ऐसे कृत्यों का जिनके अन्तर्गत व कृत्य भी हैं जिनका निर्वहन सचिव के द्वारा किया जाना इन विनियमों द्वारा या अन्यथा अपेक्षित हो, ऐसे निबंधनों और शर्तो पर प्रत्यायोजन कर सकेगा, जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे।

7. सचिव, आयोग के अनुमोदन से, आयोग के किसी भी अधिकारी को किसी भी ऐसे कृत्य का प्रत्यायोजन कर सकेगा जिसका निर्वहन सचिव के द्वारा किया जाना इन विनियमों द्वारा या अन्यथा अपेक्षित हो।

8. सचिव की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिकारी सचिव के सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

9. यदि आयोग आवश्यक समझे तो आयोग के सचिव या किसी अधिकारी द्वारा किये गये किसी भी आदेश या की गई किसी भी कार्यवाही को, स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर पुनर्विलोकन करने या बदलने का प्राधिकार आयोग को सभी समयों पर होगा।

10. यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कुछ भी ऐसा

कर सकेगा जो उसे कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

आयोग के आदेश से,
पी.दयाल,
सचिव,
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग।